

Form No-III

फर्द अहकाम

अज अदालत सभागीय आयुक्त, जोधपुर

उनवान ग्राम पंचायत भीटवाड़ा तहसील बाली जरिये सरपंच बनाम सरकार

किस्म मुकदमा राजस्व अपील, अपील संख्या.....18...../2025

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22-01-2025	<p>पत्रावली पेश हुई। राजस्व (ग्रुप-1) विभाग राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प.9 (21) राज-1 /2024-(10) दिनांक 29.12.2024 के द्वारा पाली सम्भाग को निरस्त किया जाकर मूल सम्भाग जोधपुर में सम्मिलित किया गया है। उक्त अधिसूचना के क्रम में हस्तगत पत्रावली न्यायालय सभागीय आयुक्त, पाली से स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुई है जो दर्ज रजिस्टर की गई।</p> <p>अपीलाण्ट श्री महेन्द्र प्रताप सिंह राजावत, सरपंच, ग्राम पंचायत-भीटवाड़ा उपस्थित।</p> <p>अपीलाण्ट ने प्रार्थना पत्र अपील विद्दो का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विचाराधीन पत्रावली को सुनवाई हेतु आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः पत्रावली को जरिये विद्दो खारिज फरमाया जावे।</p> <p>जिस पर विद्दो प्रार्थना-पत्र एवं पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया। विद्दो का प्रार्थना-पत्र अपीलाण्ट महेन्द्र प्रताप सिंह राजावत, सरपंच, ग्राम पंचायत-भीटवाड़ा द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अपीलाण्ट की पहचान श्री चेनाराम निवासी पाचलवाड़ा द्वारा की गई है।</p> <p>अतः ऐसी स्थिति में अपील पर गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना अपीलाण्ट का प्रार्थना-पत्र अपील विद्दो का स्वीकार किया जाकर अपील जरिये विद्दो खारिज की जाती हैं। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।</p>	



सभागीय आयुक्त
जोधपुर